

**कुलसचिव/
परीक्षा नियंत्रक**



**महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी - 221 002**

दिनांक : 24 दिसम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 31-01-2014 के निर्णय-02 के अनुसार इतिहास विभाग में सत्र 2007-08 एवं सत्र 2008-09 में अनियमित रूप से शोध कार्य हेतु पंजीकृत सर्वश्री पवन कुमार, तनय मलिक एवं मल्लिका वर्मा को प्रदान की गई शोध उपाधि को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

विद्या परिषद के निर्णयानुसार उक्त तीनों शोधार्थियों को प्रदान की गयी शोध उपाधि निरस्त की जाती है।

(ओम प्रिकाश)
कुलसचिव

पत्रांक : प0गो/1336/उपा० नि०/2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ –

तददिनांक

1. कुलपति जी।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, इतिहास विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
9. उपकुलसचिव, समिति अनुभाग।
10. श्री पवन कुमार पुत्र श्री केशर प्रसाद, म0नं० 411/2, रविनगर, बेचुपुर, मुगलसराय়, चन्दौली (उप्र०) 232101
11. श्री तनय मलिक पुत्र श्री राज कुमार मलिक, म0नं०-25/7, एम० आई० जी०, कबीर नगर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी-221005
12. श्रीमति मल्लिका वर्मा पुत्री श्री विद्या सागर, म0नं०-25/7, एम० आई० जी०, कबीर नगर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी-221005
13. प्रभारी-कम्प्यूटर सेण्टर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जनसाधारण के सूचनार्थ अपलोड करदें।
14. सम्बन्धित पत्रावली / गार्ड फाइल।

कुलसचिव